लोक अदालत | नेशनल लोक अदालत में पारित किया गया 4 अरब 40 करोड़ रुपये का अवॉर्ड

1 लाख 14 हजार प्रकरणों का हुआ निराकरण

जबलपुर। इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से लगभग 1 लाख 14 हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रकरणों का निराकरण करते हुए 4 अरब 40 लाख रुपये के अवार्ड पारित किये गये। समाचार लिखे जाने तक पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए थे।

इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का डिजिटल तौर पर उद्घाटन किया मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक जस्टिस संजीव सचदेवा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत सभी नागरिकों के लिए सुलभ,त्वरित और किफायती न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वर्ष की पहली लोक अदालत में आपसी समझौते से 1.88 लाख प्रकरणों को निराकरण करते हुए 70 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित किये गये थे। लोक अदालत से सिर्फ अदालतों को बोझ कम नहीं होता है बल्कि विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे से सामाजिक सद्भावना को भी बढ़ावा मिलता है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रो में लोगों के बढ़ते विश्वास को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का आव्हान किया।

इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस विवेक रूसिया ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय सुनिश्चित करने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समाज की सच्ची प्रगति न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में निहित है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बढ़ाने और मानवीय समाधान को प्रोत्साहित करने में जिला न्यायपालिका और अधिवक्ताओं की भूमिका आवश्यक है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश में कुल 1467 पीठ का गठन किया गया था। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर,खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में आठ पीठ का गठन किया गया था। जिला व क्षेत्रीय स्तर पर 1459 पीठ का गठन किया गया था।

सालभर का मन मुटाव एक पल में हुआ दूर

शनिवार 09 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय जबलपुर का वातावरण उस समय भावुक एवं हर्षोल्लासपूर्ण हो गया जब पिछले एक वर्ष से अलग रह रहे पति पत्नी संजू धानुक और योगिता धानुक ने आपसी मनमुटाव भुलाकर पुनः साथ रहने का निर्णय लिया। लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक विवाद के कारण दोनों के दाम्पत्य जीवन में गतिरोध उत्पन्न हो गया था किन्तु नेशनल लोक अदालत में न्यायालय द्वारा दी गई समझाइश, पारिवारिक सहयोग एवं आपसी संवाद के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच पुनः विश्वास एवं स्नेह का वातावरण निर्मित हुआ। इसके उपरांत पति पत्नी ने न्यायालय कक्ष में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर साथ रहने, एक दूसरे का सम्मान करने तथा सुख दुःख में साथ निभाने का संकल्प लिया।

पुराने विवादों को भूलकर एक साथ आए पति-पत्नी

आपसी समझौते से फिर सजा दाम्पत्य जीवन यह बात शनिवार 09 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय जबलपुर में सच होती दिखी। जहाँ प्रकरण क्रमांक एमजेसीआर 267/2026 में आवेदिका बुशरा अंजुम पति शेख तालिब, निवासी रद्दी चैकी, अजीजगंज पखियाना, थाना गोहलपुर, जबलपुर द्वारा अपने वैवाहिक विवाद के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अनावेदक के रूप में पति शेख तालिब, ससुर शेख सलीम, सास गुड्डी बाई एवं देवर छोटू, निवासी ग्राम कुसली, जबलपुर उपस्थित रहे सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को न्यायालय द्वारा समझाइश दी गई तथा आपसी संवाद एवं पारिवारिक सहयोग से पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेद दूर हुए। चर्चा के दौरान दोनों ने पुराने विवादों को भुलाकर पुनः साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। पति शेख तालिब ने अपनी पत्नी बुशरा अंजुम को सम्मानपूर्वक अपने साथ वैवाहिक गृह ले जाने की सहमति दी, वहीं आवेदिका ने भी अपनी स्वेच्छा से पति के साथ दाम्पत्य जीवन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। आपसी सहमति एवं विश्वास के साथ हुए इस समझौते से दोनों परिवारों में खुशी का वातावरण निर्मित हुआ। पक्षकारों ने भविष्य में प्रेम, सम्मान एवं सौहार्द के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया। इस प्रकार आपसी राजीनामे एवं समझौते के आधार पर प्रकरण का सौहार्दपूर्ण निराकरण कर समाप्त किया गया।

दफ्तरों के गलियारे

विरोधियों की क्या जरूरत, यहां अपने ही काफी हैं....

जब अपने ही भीतरघात, आपसी विवाद कर एकजुटता को भंग करते नजर आएं तो फिर विपक्ष या प्रतिद्वंदी की क्या जरूरत है..ये कहावत एक बार फिर से शहर कांग्रेस कमेटी में फिट होती नजर आई जब कांग्रेस के दिग्गज नेता , पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का शहर आगमन हुआ और फिर सोशल मीडिया से लेकर राजनैतिक गलियारों का कांग्रेस का एक असंतुष्ट गुट विरोध करते नजर आया। देखा गया कि सोशल मीडिया में भी असंतोषियों ने कांग्रेस का जमकर मजाक बनाया। उधर भाजपा ने चुटकुले लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म किया। आलम ये था कि अजय सिंह के जबलपुर दौरे के दौरान गुटबाजी देखकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और उनके समर्थक भी दूरी बनाते नजर आए।

मन में फीड हुआ कैंडिडेट

जैसे-जैसे राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनावो की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे ही अधिवक्ताओं के बीच भी कैंडिडेट को लेकर बातचीत होना शुरू हो गई है। शुक्रवार को कैंपेनिंग में व्यस्त उम्मीदवारों को देख दो अधिवक्ता आपस में बोल बैठे की अपना कैंडिडेट तो मन में फीड हो चुका है। आप कैंपेनिंग करने आए तो जरूर सर सर सर.... करके हमे चढ़ाए तो जरूर... लेकिन हम भी आप के सामने यह तो सुनिश्चित कर देंगे कि वोट आप को ही जाएगा लेकिन हमने अपने दिमाग में कैंडिडेट को सेट कर लिया है जिसको अब बदला नहीं जा सकता है।

बस ये तूफान के पहले वाली खामोशी न हो..!

एक थाने में कांड के बाद जवानों की जुबानें कैंची की तरह चल रही हैं। टीआई साहब, जो कल तक दहाड़ते थे, आज मौन व्रत पर हैं। इसी पर महफिल जम गई। जितने मुंह उतनी बातें शुरू हुईं। एक जवान ने कहा, यार, टीआई साहब को क्या हो गया? वे इतने शांत कैसे हो गए? न डांट रहे हैं, न दहाड़ रहे हैं। न बेवजह फाइलें फेंक रहे हैं, न गुस्सा दिखा रहे। दूसरे सिपाही ने बोला, साहब बड़े दुखी लग रहे हैं, एकदम नरम पड़ गए। लगता है पिछला कांड सीधे दिल पर लगा है, साहब सच में दुखी हैं। बस डर इस बात का है कि ये तूफान के पहले वाली खामोशी न हो! तीसरे ने कहा अरे काहे का दुख भाई..? ये दुख नहीं, डैमेज कंट्रोल है! अरे छोड़ो ये दार्शनिक बातें! तो निपट गया, मतलब विकेट गिर गया, पर सुना है फील्डिंग फिर से सज रही है, वापसी की उम्मीद है।

विवेक दुबे, धनंजय श्रीवास्तव, अजहर खान

बिना लाइसेंस चल रहा था वॉटर प्लांट

जबलपुर। सिहोरा में सिविल कोर्ट के पीछे बिना लाइसेंस वॉटर प्लांट संचालित हो रहा था। खाद्य सुरक्षा प्रशासन टीम ने दबिश देते हुए पाउच पैकिंग मशीन को सील कर दिया है। इसके साथ ही पानी के ढाई हजार पाउच नष्ट किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे के अनुसार दो माह पूर्व इसी निर्माण केंद्र पर अस्वच्छ परिस्थितियों में पानी निर्माण पाए जाने पर कारोबार का संचालन रोका गया था। कारोबारी द्वारा अवैध रूप से फिर से कारोबार शुरू कर दिये जाने की शिकायत मिलने पर शनिवार को पुनः इस प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण गया। इस प्लांट की पाउच पैकिंग मशीन को सील कर दिया गया है तथा परीक्षण के लिए पानी के नमूने लेकर मौके पर मिले पानी के 2500 पाउच को नगर पालिका सिहोरा की मदद से विनिष्ट करादिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बिना लायसेंस के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का कारोबार करने वाले प्लांट संचालक मयंक त्रिपाठी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को बस ने मारी टक्कर, एक की मौत, डॉक्टर समेत तीन घायल

हरदुआ के पास पाटन-शहपुरा मेन रोड पर हुआ हादसा

जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत हरदुआ के पास पाटन शहपुरा मेन रोड पर खैरी गांव में शनिवार शाम एक बेकाबू यात्री बस ने घायल मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में मरीज के सगे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस में सवार डॉक्टर समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

पाटन टीआई भूपेंद्र सिंह के मुताबिक रामेश्वर पटेल पिता स्व. मोती सिंह पटेल 58 साल निवासी नौनी थाना शहपुरा का राजेश पटेल और सौरभ पटेल उसके नाती हैं, शनिवार दोपहर करीबन 3.30 बजे ग्राम धनेटा के पास मोटर सायकिल चलाते समय राजेश का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, राजेश को चोटें आईं थीं, तब उसने फोन करके अपने छोटे भाई सौरभ पटेल को बुलाया, सौरभ ने वहां पहुंचकर 108 एम्बुलेंस को बुलाया फिर 108 एम्बुलेंस क्रमांक सीजी 04 एनवी 6367 से सौरभ, राजेश को इलाज के लिए पाटन अस्पताल लेकर आ रहा था, उसी एम्बुलेंस में डाक्टर मैडम भी बैठीं थीं यह सब जानकारी सौरभ ने अस्पताल जाते समय फोन करके रामेश्वर पटैल को बताई थीं। दोपहर करीबन पौने चार बजे जैसे ही वह ग्राम हरदुआ के पास पाटन शहपुरा मेन रोड पर खैरी गांव के पास पहुंचे तभी सामने पाटन तरफसे आ रही बस क्रमांक ए आर 11 डी 7775 का चालक अपनी बस को तेज रफ्तार में लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया और सामने से एम्बुलेंस को टक्कर मार दिया जिससे एम्बुलेंस में बैठे सौरभ पटेल को सिर में गंभीर चोटें आ गयी एवं राजेश पटेल को हाथ पैर व शरीर के अन्य हिस्सो में चोटें आईं, डॉक्टर सरिता घटगे को चेहरे, हाथ पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं और एम्बुलेंस चालक सुदेश सेन को चेहरे पर चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन भी पहुंच गए। बस और एम्बुलेंस दोनों क्षतिग्रस्त हालत में पडीं हुईं थीं, इसके बाद सभी को इलाज के लिए पाटन अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने परीक्षण उपरांत राजेश पटेल, सुदेश सेन, सरिता को रेफर कर दिया एवं सौरभ पटेल को मृत घोषित कर दिया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57